

Category: Polity

Opposition moves no-confidence motion against Rajya Sabha Chairman: VP Jagdeep Dhankar



The INDIA bloc of the opposition for the first time brought a no-confidence motion against the Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar charging him with partiality. Spearheaded by 60 MPs belonging to Congress, TMC, and DMK, the motion accuses Dhankhar of being partial to the ruling party and even unconstitutional against the opposition. Although the motion cannot be passed due to lack of sufficient numbers in the 243 member Rajya Sabha, the opposition wants to make an imprint through demonstration on parliamentary democracy. The motion needs a 14-day notice; in the event they do not consider the same in the current session, it will be brought in the subsequent session.

- **About the Vice President of India**

- The Vice President is the second-highest constitutional authority in India after the President.
- The position merges legislative and executive powers to ensure the proper functioning of the parliamentary system as well as governance.

- **Constitutional Provisions relating to the Vice President of India**

- Articles 63-71 in part V of the Indian Constitution deal with the election, qualifications, powers and other matters of the Vice President's office.



- **Election of Vice President of India**
 - Under article 66,
 - **Elected by the members of both Houses of Parliament (both elected and nominated)** through Proportional Representation through Secret Ballot.
 - **Note:** The members of the Legislative Assemblies of States **DO NOT participate** in the election of Vice-President.
 - **It is different from the Electoral College for the election of the President:**
 - It is made up of members elected to the Parliament and other members nominated to the Parliament (where the President is involved, only elected members are considered).
 - This does not comprise the members of the state legislative assemblies For the president, elected members of the state legislative assemblies are included.
 - All matters relating to the election and the qualification of a Vice-President are referred to the Supreme Court and the decision of the court is conclusive.
- **Qualifications of Vice President**
 - He/she should be a citizen of India.
 - He/she should have completed 35 years of age.
 - He/she should be qualified for election as a member of the Rajya Sabha.
 - He/she should not hold any office of profit under the Union Government or any State Government or any Local Authority or any other Public Authority.
- **Oath of Office**
 - **Under article 69, he** is administered by the President, sworn allegiance to the Constitution of India, with an undertaking to faithfully discharge duties.
- **Period of Office**
 - **Under article 67, he** holds office for 5 years and on re-election, continues till the incumbent assumes office.



- Article 67(a) he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the President.
- Article 67(b) mentions that the Vice-President may be removed by resolution in Rajya Sabha adopted by Effective Majority, with concurrence by Lok Sabha. A resolution under clause requires a minimum of 14 days' notice before the resolution is moved.
- **Note: No ground has been mentioned in the constitution for the removal of the Vice-President.**

- **Powers and Functions**

- Article 63 of the Constitution mentions the Vice-President of India
- Under Article 64, he acts as the Ex-Officio Chairman of Rajya Sabha having powers and functions as Speaker of the Lok Sabha.
- Under Article 65, the Vice-president acts as President of India in case of a vacancy in the office of the President for a maximum period of 6 months.

- **Salaries and Allowances**

- He draws his regular salary in his capacity as the Chairman of the Rajya Sabha along with allowances for residence, travel, and medical facilities.

- **Comparison with U.S. Vice President**

- Indian Vice President: Serves as President temporarily; does not serve the unexpired term.
- U.S. Vice President: Assumes the President's office for the rest of the term.

- **Conclusion**

- The Vice President plays an important role in the Indian democratic structure, providing continuity to the administration and maintaining the rule of law.

List of Vice-Presidents of India

Sr.No.	Name	Period	Party
1	Sarvepalli Radhakrishnan	1952-1962	Independent
2	Zakir Husain	1962-1967	Independent
3	Varahagiri Venkata Giri	1967-1969	Independent
4	Gopal Swarup Pathak	1969-1974	Independent
5	Basappa Danappa Jatti	1974-1979	Indian National Congress
6	Mohammad Hidayatullah	1979-1984	Independent
7	Ramaswamy Venkataraman	1984-1987	Indian National Congress
8	Shankar Dayal Sharma	1987-1992	Indian National Congress
9	Kocheril Raman Narayanan	1992-1997	Indian National Congress
10	Krishan Kant	1997-2002	Janata Dal
11	Bhairon Singh Shekhawat	2002-2007	Bharatiya Janata Party
12	Mohammad Hamid Ansari	2007-2017	Indian National Congress
13	Muppavarapu Venkaiah Naidu	2017-2022	Bharatiya Janata Party
14	Jagdeep Dhankhar	2022-At Present	Bharatiya Janata Party

Conclusion

The opposition's no-confidence motion against Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar highlights concerns over impartiality in parliamentary proceedings. Although the motion is unlikely to pass, it reflects the opposition's push for a fairer system. The Vice President's role is crucial in maintaining the integrity of parliamentary democracy, and this move serves as a reminder of the importance of impartiality in such high offices.

Category: Internal Security

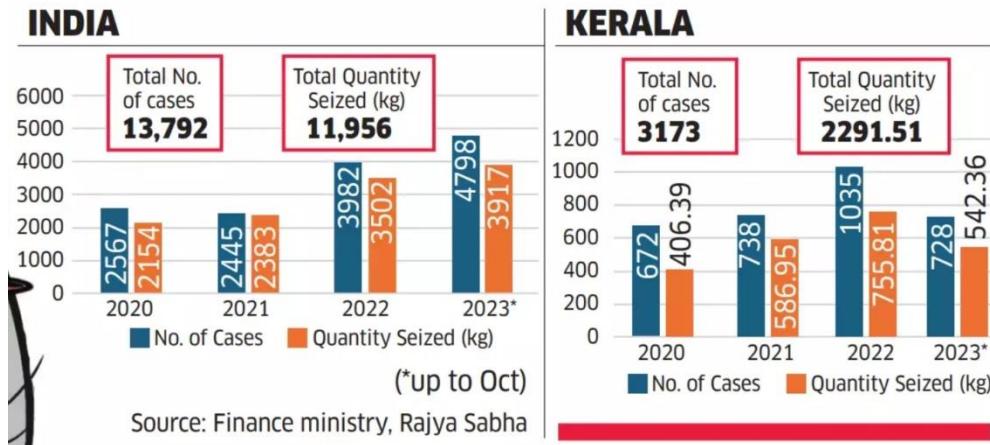
Smuggling Report 2023-2024: Key Trends, Routes, and Enforcement Challenges



The smuggling landscape in India saw significant shifts in 2023-2024, with increased illicit trade in drugs, gold, and wildlife products. Notably, cocaine and hydroponic ganja smuggling have surged, primarily through air and maritime routes. Smuggling syndicates continue to exploit weak borders and advanced concealment techniques, making it a major challenge for authorities. This report highlights the growing trends, key smuggling routes, and efforts by agencies like DRI to curb illegal activities.

- **Major Trends of Smuggling:**
 - **Cocaine Smuggling:** Major increase in cocaine smuggling, especially by air route from South America and African nations, 47 cases in 2023-24, while the count for the last year was 21.
 - **Hydroponic Ganja:** Smuggled from US, Thailand, and other countries.
 - **Black Cocaine:** A newly developed form of cocaine, chemically coated with material like charcoal or iron oxide, hence not detected by drug-sniffing techniques.
- **Smuggling of Illicit Gold Imports:**
 - **Gold Smuggling:** India is a major consumer of smuggled gold, mainly coming from West Asia (UAE, Saudi Arabia). Smuggling syndicates engage "mules," which include foreigners and families, to ferry in gold.

CASES OF GOLD SMUGGLING



- **Smuggling Routes and Techniques:**
 - **East Borders:** Higher smuggling through relatively weak borders with Bangladesh and Myanmar particularly methamphetamine into the northeastern states such as Assam and Mizoram.
 - **Maritime and Air Routes:** Long coastlines and busy skies present potential for drug smuggling: drugs hidden in cargo shipping containers, fishing vessels, luggage, and parcels delivered by courier.
- **Environmental and Wildlife Crime:**
 - **Illegal Wildlife Trade:** Ongoing demand for elephant tusks, star tortoises and other wildlife products, especially into the Southeast Asian market.
 - **Hunting:** Peacocks, pangolins, leopards are hunted to meet illegal trade.
- **Narco-Trafficking Routes:**
 - **Death Crescent (Golden):** Afghani, Iranian and Pakistani heroin is coming into the country through African, Gulf and traditional India-Pak routes.
 - **Death Triangle (Golden):** Synthetic drugs and heroin from Myanmar, Laos, and Thailand are coming into northeastern states with porous borders in India.



How India is caught between the “Death Crescent” and the “Death Triangle”;
(Source: NCB, India)

- **DRI and Anti-Smuggling Efforts:**
 - **Directorate of Revenue Intelligence (DRI):**
 - It was **established in 1957**.
 - This is the **first agency that prevents and prevents smuggling** and enforces customs regulations.
 - It deals with drugs, gold, wildlife, among other contrabands.
- **Global and Indian Initiatives:**
 - UNODC: Lead the world in drugs.
 - INCB-India: Leads the world concerning the prevention of drug smuggling.
 - Paris Pact Initiative: Curbing Afghan opiate trafficking
 - NDPS Act, 1985: Legal backing to control drugs in the country.
 - Narcotics Control Bureau (NCB), which enforces drug policies in the country.
 - National Action Plan for Drug Demand Reduction: Focuses on prevention, treatment, and rehabilitation.

Conclusion

- The report focuses on the rising challenge of smuggling in India and the effort of the agency to combat the same in the sectors, including drugs, gold, wildlife, and counterfeit goods.

Category: Economy

India Skills Report 2025: Unlocking Employability and Bridging the Skills Gap



India has a vast formal institutional and policy framework of training and skilling established but there are shortcomings when it comes to equipping the workforce to meet industry requirements. India has a large youth population with 35% of the population below 35 years of age the working age population of 15-59 years is said to rise from 62% to 68% by 2030. The India Skill Report 2023 reveals that the employability rate of graduates in Artificial intelligence and Machine learning in India is at 48%. This shows a prosperous cadre of talented professionals in high-tech fields.

- **Leading state in employability**
 - **Kerala has been ranked as one of the most employable States in India**, according to the India Skills Report 2025.
 - The State maintains a 71% employability rate, ranking it fifth after Maharashtra, Delhi, Karnataka, and Andhra Pradesh
 - The report is published by Wheebox in association with AICTE, CII, and other agencies and assesses employability based on a Global Employability Test conducted among 6.5 lakh youths.
 - **Kerala topped at 87.47% employability rate in the 22-25 age group.**



- At 26-29 years, Kerala leads with 68.82% employability.
- **For the female, Kerala ranks third in employability** with substantial scopes.
- The State is a favorite for women job aspirants as its manpower policies are accommodative of all groups.
- **Tamil Nadu, Maharashtra, Uttar Pradesh, and Delhi follow Kerala to the top list for States in employability.**
- The results would therefore emphasize the need for skill development programs nationwide.
- **The necessity/importance of skilling in India**
 - **Employment Gap:** The Economic Survey 2023-24 further reveals that India needs to create as many as 78.5 lakh non-agricultural jobs every year until 2030 to accommodate the growing workforce.
 - **Improving Employability:** According to the recent remark made by the Chief Economic Advisor, only 51% candidates passing out from India are in a position to secure a job. This depicts the need to have skills programs that guarantee that the outcomes of education meet the sector's demand.
 - **Low Reach and Quality of Training Programs:** Youth unemployment is significantly high in India, as evidenced by the Periodic Labour Force Survey 2022-23; only 21% of the youths in the age group of 15-29 have ever undergone vocational or technical training; a shocking 4.4 % youths had formal vocational training ever.
 - **Adapting to Industry 4.0:** It requires a Generation Y workforce that would be capable of integrating requirements of Industry 4.0 such as AI, Robotics, IoTs and Big Data into the production line.
 - As of 2025, over 65% of Indian manufacturers are anticipated to adopt digital transformation strategies.
 - But, that future is uncertain with only 1.5 percent of Indian engineers possessing the skills to take up these new-age jobs.
 - **Supporting Rural Development:** For this reason, vocational training would be of immense benefit since most people reside in the rural regions and would thus keep moving to the urban areas in search of employment.

- **New-age Approach**

- India has a vast formal institutional and policy framework of training and skilling established but there are shortcomings when it comes to equipping the workforce to meet industry requirements. The focus is on re-skilling the existing workforce with new-age skills.
- **Skill India Digital Hub Platform:** It unites multiple government schemes and services including eShram/EPFO, Udyam, DigiLocker, GatiShakti, UMANG, AgriStack, PLI Schemes, One District One Product, and so on.
- **SAMARTH Udyog Bharat 4.0:** This initiative will also enhance digital adoption in industries.
- Skilling programs more gamey and simulation-based for the Indian scenario can be instituted. Learning will be more fun, and skill acquisition will improve with better alignments between the training content and what the industry needs.
- **Gamified learning:** The learning process becomes engaging and fun while improving knowledge retention and the skills acquired.
- Simulation-Based Learning utilizes virtual environments that mimic real scenarios of application where learners practice and apply the acquired skills in a safe, controlled environment.
- The gamified and simulation training module can be hosted on the two online skill education and training platforms of the Indian government: **SWAYAM and Skill India Digital Hub, SIDH.**
- Initiatives such as '**Skills On Wheel**' take the facilities for training directly to rural youth so that they have an opportunity to find a job in their local economy.

Conclusion

India's skill development landscape needs significant improvements to meet the demands of a rapidly evolving job market. While states like Kerala show positive trends in employability, there is a broader need for nationwide skill-building initiatives. Adopting innovative approaches like gamified and simulation-based learning, along with platforms like Skill India Digital Hub, will help prepare the workforce for future industry needs. Focused efforts can ensure a better-equipped workforce ready to thrive in the digital era.

Category: Polity and Governance

Places of Worship Act 1991: Legal Debate and Implications for Secularism in India



The Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991, which was adopted when Communal tensions in Independent India kept increasing, was intended to preserve status quo as those places of worship were before the eve of India's Independency day on fifteenth August 1947. It prohibits any legal proceedings for changing the character of such a place, except in the following cases.

1. Exemptions were the situations as S.R. Bommai issued by the Supreme Court and the Babri Masjid-Ram Janmabhoomi case was one of the important cases settled by the apex court.
2. Places of interest are controlled and preserved in accordance with the Amateur and Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958.
3. Certain premises that dealt with conflicts or conversions through yielding before the enactment of the Act.

The Act is considered a legal policy to protect the secular fabric of India by withholding historical hurts for political or communal propaganda.

The Supreme Court Hearing: Major Arguments



The Special Bench of the Supreme Court led by Chief Justice Sanjiv Khanna will be entertaining the petitions that seek to declare the Act unconstitutional. These pleas present several important arguments:

1. Historical Injustice:

The Act, according to the petitioners, legalizes historical wrongs – the demolition of Hindu temples by invaders and denies Hindus the right to regain their worship places.

2. Violation of Fundamental Rights:

They argue that the Act deny their rights to their religion which they have under Article 25 right to freedom to practice and propagate religion and Article 26 the right to freedom to managing of religious affairs of the Constitution of Kenya.

3. Secularism Paradox:

Interestingly, the petitioners contend that the Act un-secular by proving favorability to one religious group against others and this contention is refuted by the supporters of the Act.

The Secularism Debate

Petitioners' View: They argued that the release of rights to Hindus and other communities to regain the areas where the temple was demolished in the past is secular because it recognizes the rights of all religions.

Supporting the Act:

1. Judicial Sanction in Ayodhya Judgment:

The Ayodhya verdict of the Supreme Court stated that the Act preserves the secular fabric of the country as it avoids people's battle over the historic dispute.

2. Legislative Intent:

The Act is an embodiment of the principle of non-retrogression that was agreed to in that the country should progress forward without re-opening of charges that have been dealt with before.

Implications of the Hearing

The Supreme Court judgment may have serious implications on India's secular fabric and communal relations:

1. If the Act is Upheld: Affirms the continuing leadership of India to the principles of secularism enshrined in the Constitution. Closes any luggage of exploiting Judicial Chambers for the procurement of remedies for historical injustices. Promotes a strong statement against the political influence on the issues of religion.

2.If the Act is Struck Down or Diluted: This creates possibilities of legal actions against places such as the Gyanvapi Mosque at Varanasi or Shahi Eidgah Mosque at Mathura. Harms such as worsening of ethnic tensions, political instabilities, and conflicts that unsteady social order and cohesion. Stands for removing the spirit of non-retrogression and eradicating legislative protection.

Judicial Activism as a Protector of the Principle of Secularism

In this respect, it can be stated that the judiciary has consistently led the way in the pursuit of secularism. For instance, in S.R. Bommai v/s Union of India which was in 1994 and the Ayodhya issue which was in 2019, the Supreme Court concentrated on secularism as one of the supreme values in the Indian Constitution.

This case will extend the challenge to the judiciary further in terms of ensuring that India's pluralist character is upheld amidst increasing polarization.

Conclusion

It can be seen that the Places of Worship Act of 1991 is another testimony of the Indian determination to strive to break free from the skins of a troublesome past so as to build a secular India that belongs to everyone. This upcoming decision by the Supreme Court is not only a final determination and decision but of the nation itself, on the secular life that it envisions.

This case engages with law, religion, and constitutional values in India to the extent that it fits incredibly well within the proposed topics of secularism, judicial accountability, and constitutional morality.

Hindi

श्रेणी: राजव्यवस्था

विपक्ष ने राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया: वीपी जगदीप
धनखड़



No-Confidence Motion Against Rajya Sabha Chairman: Vice President Jagdeep Dhankar

विपक्ष के भारतीय गुट ने पहली बार राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके के 60 सांसदों के नेतृत्व में, प्रस्ताव में धनखड़ पर सत्तारूढ़ दल के प्रति पक्षपात करने और यहां तक कि विपक्ष के खिलाफ असंवैधानिक होने का आरोप लगाया गया है। हालांकि 243 सदस्यीय राज्यसभा में पर्याप्त संख्या न होने के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लेकिन विपक्ष प्रदर्शन के जरिए संसदीय लोकतंत्र पर छाप छोड़ना चाहता है। प्रस्ताव के लिए 14 दिन के नोटिस की आवश्यकता है; यदि वे वर्तमान सत्र में इस पर विचार नहीं करते हैं, तो इसे अगले सत्र में लाया जाएगा।

- **भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में**
 - उपराष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक प्राधिकारी है।
 - यह पद संसदीय प्रणाली के साथ-साथ शासन के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए विधायी और कार्यकारी शक्तियों का विलय करता है।
- **भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान**
 - भारतीय संविधान के भाग V में अनुच्छेद 63-71 उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव, योग्यता, शक्तियों और अन्य मामलों से संबंधित है।
- **भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव**
 - अनुच्छेद 66 के तहत,

- संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित (निर्वाचित और नामांकित दोनों) गुप्त मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से।
- नोट: राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य **भाग न लें** उपराष्ट्रपति के चुनाव में
 - यह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल से भिन्न है:
 - यह संसद के लिए निर्वाचित सदस्यों और संसद के लिए नामांकित अन्य सदस्यों से बना है (जहां राष्ट्रपति शामिल होता है, केवल निर्वाचित सदस्यों पर विचार किया जाता है)।
 - इसमें राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, राष्ट्रपति के लिए, राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
 - उपराष्ट्रपति के चुनाव और योग्यता से संबंधित सभी मामले सर्वोच्च न्यायालय को भेजे जाते हैं और न्यायालय का निर्णय निर्णायक होता है।
- **उपराष्ट्रपति की योग्यताएँ**
 - वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
 - उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए।
 - उसे राज्य सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए।
 - उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए।
- **पद की शपथ**
 - अनुच्छेद 69 के तहत, वह राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली जाती है, और कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने का वचन दिया जाता है।
- **कार्यालय की अवधि**
 - अनुच्छेद 67 के तहत, वह 5 वर्षों तक पद पर रहता है और पुनः निर्वाचित होने पर, पदधारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है।
 - अनुच्छेद 67(ए) के तहत वह किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र संबोधित करके अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
 - अनुच्छेद 67 (बी) में उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सहमति से प्रभावी बहुमत द्वारा पारित राज्यसभा में संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। खंड के तहत किसी प्रस्ताव को पेश करने से पहले कम से कम 14 दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है।
 - नोट: उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।

• **शक्तियाँ और कार्य**

- संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है
- अनुच्छेद 64 के तहत, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और उसके पास लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शक्तियाँ और कार्य होते हैं।
- अनुच्छेद 65 के तहत, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

• **वेतन एवं भत्ते**

- वह राज्यसभा के सभापति के रूप में निवास, यात्रा और चिकित्सा सुविधाओं के भत्ते के साथ-साथ अपना नियमित वेतन प्राप्त करते हैं।

• **अमेरिकी उपराष्ट्रपति से तुलना**

- भारतीय उपराष्ट्रपति: अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है; असमाप्त अवधि को पूरा नहीं करता है.
- अमेरिकी उपराष्ट्रपति: शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है।

• **निष्कर्ष**

- उपराष्ट्रपति भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में प्रशासन को निरंतरता प्रदान करने और कानून का शासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची

Sr.No.	Name	Period	Party
1	Sarvepalli Radhakrishnan	1952-1962	Independent
2	Zakir Husain	1962-1967	Independent
3	Varahagiri Venkata Giri	1967-1969	Independent
4	Gopal Swarup Pathak	1969-1974	Independent
5	Basappa Danappa Jatti	1974-1979	Indian National Congress
6	Mohammad Hidayatullah	1979-1984	Independent
7	Ramaswamy Venkataraman	1984-1987	Indian National Congress
8	Shankar Dayal Sharma	1987-1992	Indian National Congress
9	Kocheril Raman Narayanan	1992-1997	Indian National Congress
10	Krishan Kant	1997-2002	Janata Dal
11	Bhairon Singh Shekhawat	2002-2007	Bharatiya Janata Party
12	Mohammad Hamid Ansari	2007-2017	Indian National Congress
13	Muppavarapu Venkaiah Naidu	2017-2022	Bharatiya Janata Party
14	Jagdeep Dhankhar	2022-At Present	Bharatiya Janata Party

निष्कर्ष

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव संसदीय कार्यवाही में निष्पक्षता पर चिंताओं को उजागर करता है। हालाँकि इस प्रस्ताव के पारित होने की संभावना नहीं है, लेकिन यह एक निष्पक्ष व्यवस्था के लिए विपक्ष के प्रयास को दर्शाता है। संसदीय लोकतंत्र की अखंडता को बनाए रखने में उपराष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण है, और यह कदम ऐसे उच्च कार्यालयों में निष्पक्षता के महत्व की याद दिलाता है।

श्रेणी: आंतरिक सुरक्षा

तस्करी रिपोर्ट 2023-2024: प्रमुख रुझान, मार्ग और प्रवर्तन चुनौतियाँ

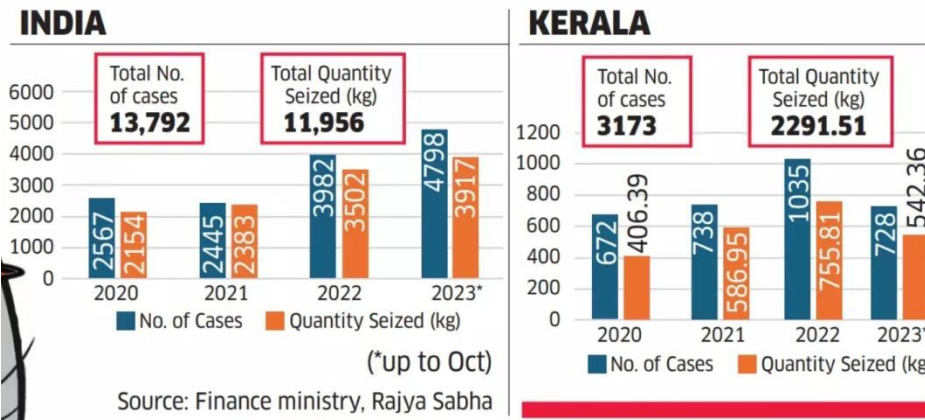


भारत में तस्करी परिदृश्य में 2023-2024 में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया, जिसमें दवाओं, सोने और वन्यजीव उत्पादों में अवैध व्यापार में वृद्धि हुई। विशेष रूप से, कोकीन और हाइड्रोपोनिक गांजा की तस्करी बढ़ी है, मुख्य रूप से हवाई और समुद्री मार्गों के माध्यम से। तस्करी सिंडिकेट कमजोर सीमाओं और उन्नत छिपाव तकनीकों का फायदा उठाना जारी रखते हैं, जिससे यह अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। यह रिपोर्ट बढ़ती प्रवृत्तियों, प्रमुख तस्करी मार्गों और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए डीआरआई जैसी एजेंसियों के प्रयासों पर प्रकाश डालती है।

- तस्करी की प्रमुख प्रवृत्तियाँ:

- **कोकीन तस्करी:** विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकी देशों से हवाई मार्ग से कोकीन की तस्करी में बड़ी वृद्धि, 2023-24 में 47 मामले, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 21 थी।
- **हाइड्रोपोनिक गांजा:** अमेरिका, थाईलैंड और अन्य देशों से तस्करी की गई।
- **काली कोकीन:** कोकीन का एक नया विकसित रूप, रासायनिक रूप से चारकोल या आयरन ऑक्साइड जैसी सामग्री से लेपित होता है, इसलिए दवा-सूँघने की तकनीक से इसका पता नहीं लगाया जा सकता है।
- **अवैध सोने के आयात की तस्करी:**
 - **सोने की तस्करी:** भारत तस्करी के सोने का एक प्रमुख उपभोक्ता है, जो मुख्य रूप से पश्चिम एशिया (यूएई, सऊदी अरब) से आता है। तस्करी सिंडिकेट सोने की ढुलाई के लिए "खच्चरों" को नियुक्त करते हैं, जिनमें विदेशी और परिवार शामिल होते हैं।

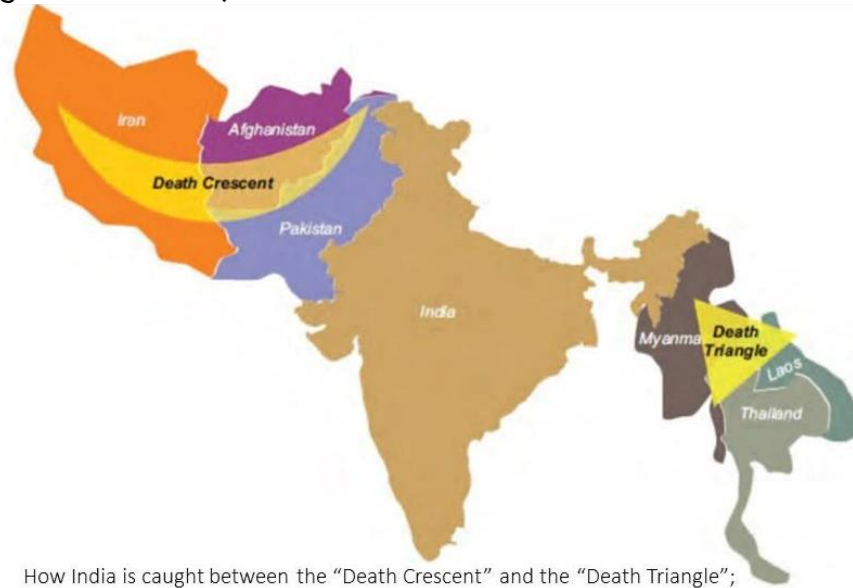
CASES OF GOLD SMUGGLING



- **तस्करी के मार्ग और तकनीकें:**
 - **पूर्वी सीमाएँ:** बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपेक्षाकृत कमजोर सीमाओं के माध्यम से विशेष रूप से असम और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में मेथमफेटामाइन की अधिक तस्करी।
 - **समुद्री और हवाई मार्ग:** लंबी तटरेखाएं और व्यस्त आसमान नशीली दवाओं की तस्करी की संभावना प्रस्तुत करते हैं: कार्गो शिपिंग कंटेनरों, मछली पकड़ने के जहाजों, सामान और कूरियर द्वारा वितरित पार्सल में छिपी हुई दवाएं।
- **पर्यावरण एवं वन्यजीव अपराध:**
 - **अवैध वन्यजीव व्यापार:** विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई बाज़ार में हाथी दाँत, सितारा कछुओं और अन्य वन्यजीव उत्पादों की मांग जारी है।
 - **शिकार:** अवैध व्यापार को पूरा करने के लिए मोर, पैंगोलिन, तेंदुओं का शिकार किया जाता है।

• **नार्को-तस्करी मार्ग:**

- **डेथ क्रिसेंट (गोल्डन):** अफगानी, ईरानी और पाकिस्तानी हेरोइन अफ्रीकी, खाड़ी और पारंपरिक भारत-पाक मार्गों से देश में आ रही है।
- **मृत्यु त्रिभुज (स्वर्ण):** म्यांमार, लाओस और थाईलैंड से सिंथेटिक ड्रग्स और हेरोइन भारत की खुली सीमाओं वाले पूर्वोत्तर राज्यों में आ रही हैं।



How India is caught between the "Death Crescent" and the "Death Triangle";
(Source: NCB, India)

• **डीआरआई और तस्करी विरोधी प्रयास:**

- **राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई):**
 - वह था 1957 में स्थापित.
 - ये है पहली एजेंसी जो तस्करी को रोकती और रोकती है और सीमा शुल्क नियमों को लागू करता है।
 - यह नशीली दवाओं, सोना, वन्य जीवन और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं से संबंधित है।

• **वैश्विक और भारतीय पहल:**

- यूएनओडीसी: दवाओं के मामले में दुनिया का नेतृत्व करें।
- INCB-भारत: नशीली दवाओं की तस्करी की रोकथाम के मामले में दुनिया का नेतृत्व करता है।
- पेरिस संधि पहल: अफगान अफीम की तस्करी पर अंकुश लगाना
- एनडीपीएस अधिनियम, 1985: देश में नशीली दवाओं पर नियंत्रण के लिए कानूनी समर्थन।
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), जो देश में दवा नीतियों को लागू करता है।

- नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना: रोकथाम, उपचार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- निष्कर्ष
 - रिपोर्ट भारत में तस्करी की बढ़ती चुनौती और ड्रग्स, सोना, वन्यजीव और नकली सामान सहित क्षेत्रों में इससे निपटने के एजेंसी के प्रयास पर केंद्रित है।

श्रेणी: अर्थव्यवस्था

भारत कौशल रिपोर्ट 2025: रोजगार क्षमता को खोलना और कौशल अंतर को पाटना



भारत में प्रशिक्षण और कौशल का एक विशाल औपचारिक संस्थागत और नीतिगत ढांचा स्थापित है, लेकिन जब उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यबल को तैयार करने की बात आती है तो इसमें कमियां हैं। भारत में एक बड़ी युवा आबादी है, जिसमें 35% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, 15-59 साल की कामकाजी उम्र की आबादी 2030 तक 62% से बढ़कर 68% हो जाएगी। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि रोजगार दर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में स्नातक 48% है। यह उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में प्रतिभाशाली पेशेवरों के एक समृद्ध कैडर को दर्शाता है।

- रोजगार के मामले में अग्रणी राज्य
 - केरल को भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाले राज्यों में से एक माना गया है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार।

- राज्य ने 71% रोजगार दर बनाए रखी है और यह महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद पांचवें स्थान पर है
 - रिपोर्ट एआईसीटीई, सीआईआई और अन्य एजेंसियों के सहयोग से व्हीबॉक्स द्वारा प्रकाशित की गई है और 6.5 लाख युवाओं के बीच आयोजित वैश्विक रोजगार परीक्षण के आधार पर रोजगार क्षमता का आकलन करती है।
 - **22-25 आयु वर्ग में 87.47% रोजगार दर के साथ केरल शीर्ष पर है।**
 - 26-29 वर्ष की आयु में, केरल 68.82% रोजगार क्षमता के साथ अग्रणी है
 - **महिलाओं के लिए रोजगार के मामले में केरल तीसरे स्थान पर है** पर्याप्त दायरे के साथ
 - राज्य महिला नौकरी की इच्छुक महिलाओं के लिए पसंदीदा है क्योंकि इसकी जनशक्ति नीतियां सभी समूहों के लिए अनुकूल हैं
 - **रोजगार क्षमता वाले राज्यों की सूची में केरल के बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शीर्ष पर हैं।**
 - इसलिए परिणाम देश भर में कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर देंगे।
- **भारत में कौशल की आवश्यकता/महत्व**
 - **रोजगार अंतर:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से पता चलता है कि भारत को बढ़ते कार्यबल को समायोजित करने के लिए 2030 तक हर साल 78.5 लाख गैर-कृषि नौकरियां पैदा करने की जरूरत है।
 - **रोजगार क्षमता में सुधार:** मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा की गई हालिया टिप्पणी के अनुसार, भारत से उत्तीर्ण होने वाले केवल 51% उम्मीदवार ही नौकरी पाने की स्थिति में हैं। यह ऐसे कौशल कार्यक्रमों की आवश्यकता को दर्शाता है जो गारंटी देते हैं कि शिक्षा के परिणाम क्षेत्र की मांग को पूरा करते हैं।
 - **प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कम पहुंच और गुणवत्ता:** भारत में युवा बेरोजगारी काफी अधिक है, जैसा कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 से पता चलता है; 15-29 आयु वर्ग के केवल 21% युवाओं ने कभी व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है; चौंकाने वाली बात यह है कि 4.4% युवाओं ने कभी औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था।
 - **उद्योग 4.0 को अपनाना:** इसके लिए जेनरेशन Y कार्यबल की आवश्यकता है जो उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं जैसे AI, रोबोटिक्स, IoTs और बिग डेटा को उत्पादन लाइन में एकीकृत करने में सक्षम हो।
 - 2025 तक, 65% से अधिक भारतीय निर्माताओं द्वारा डिजिटल परिवर्तन रणनीतियों को अपनाने का अनुमान है।
 - लेकिन, यह भविष्य अनिश्चित है क्योंकि केवल 1.5 प्रतिशत भारतीय इंजीनियरों के पास इन नए युग की नौकरियों को लेने का कौशल है।

- **ग्रामीण विकास में सहायता:** इस कारण से, व्यावसायिक प्रशिक्षण से अत्यधिक लाभ होगा क्योंकि अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इस प्रकार रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों में जाते रहेंगे।
- **नये जमाने का दृष्टिकोण**
 - भारत में प्रशिक्षण और कौशल का एक विशाल औपचारिक संस्थागत और नीतिगत ढांचा स्थापित है, लेकिन जब उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यबल को तैयार करने की बात आती है तो इसमें कमियां हैं। मौजूदा कार्यबल को नए जमाने के कौशल के साथ फिर से कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
 - **स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म:** यह ईश्रम/ईपीएफओ, उद्यम, डिजिलॉकर, गतिशक्ति, उमंग, एग्रीस्टेक, पीएलआई योजनाएं, एक जिला एक उत्पाद आदि सहित कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं को एकजुट करता है।
 - **SAMARTH Udyog Bharat 4.0:** यह पहल उद्योगों में डिजिटल अपनाने को भी बढ़ाएगी
 - भारतीय परिदृश्य के लिए अधिक खेलपूर्ण और सिमुलेशन-आधारित कौशल कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। सीखना अधिक मजेदार होगा, और प्रशिक्षण सामग्री और उद्योग को क्या चाहिए, के बीच बेहतर संरेखण के साथ कौशल अधिग्रहण में सुधार होगा।
 - **गेमिफाइड लर्निंग:** ज्ञान प्रतिधारण और अर्जित कौशल में सुधार करते हुए सीखने की प्रक्रिया आकर्षक और मजेदार हो जाती है।
 - सिमुलेशन-आधारित शिक्षण आभासी वातावरण का उपयोग करता है जो अनुप्रयोग के वास्तविक परिदृश्यों की नकल करता है जहां शिक्षार्थी एक सुरक्षित, नियंत्रित वातावरण में अर्जित कौशल का अभ्यास और उपयोग करते हैं।
 - गेमिफाइड और सिमुलेशन प्रशिक्षण मॉड्यूल को भारत सरकार के दो ऑनलाइन कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण प्लेटफॉर्मों पर होस्ट किया जा सकता है: **SWAYAM and Skill India Digital Hub, SIDH.**
 - जैसी पहल '**स्किल्स ऑन व्हील**' प्रशिक्षण की सुविधाएँ सीधे ग्रामीण युवाओं तक पहुँचाएँ ताकि उन्हें अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था में नौकरी खोजने का अवसर मिले।

निष्कर्ष:

तेजी से विकसित हो रहे नौकरी बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए भारत के कौशल विकास परिदृश्य में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। जबकि केरल जैसे राज्य रोजगार में सकारात्मक रुझान दिखाते हैं, वहां राष्ट्रव्यापी कौशल-निर्माण पहल की व्यापक आवश्यकता है। स्किल इंडिया डिजिटल हब जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ-साथ गेमिफाइड और सिमुलेशन-आधारित शिक्षण जैसे नवीन दृष्टिकोण अपनाने से भविष्य की उद्योग की जरूरतों के लिए कार्यबल तैयार करने में मदद मिलेगी। केंद्रित प्रयास डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए बेहतर सुसज्जित कार्यबल सुनिश्चित कर सकते हैं।

श्रेणी: राजव्यवस्था और शासन

पूजा स्थल अधिनियम 1991: भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए कानूनी बहस और निहितार्थ



पूजा स्थल अधिनियम, 1991: एक सिंहावलोकन

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, जिसे तब अपनाया गया था जब स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा था, इसका उद्देश्य यथास्थिति बनाए रखना था क्योंकि वे पूजा स्थल पंद्रह अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या से पहले थे। निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, ऐसे स्थान के चरित्र को बदलने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही:

1. छूट एस.आर. जैसी स्थितियाँ थीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी बोम्मई और बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामला शीर्ष अदालत द्वारा निपटाए गए महत्वपूर्ण मामलों में से एक था।
2. रुचि के स्थानों को शौकिया और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार नियंत्रित और संरक्षित किया जाता है।
3. कुछ परिसर जो अधिनियम के लागू होने से पहले उपज के माध्यम से संघर्ष या रूपांतरण से निपटते हैं।

इस अधिनियम को राजनीतिक या सांप्रदायिक प्रचार के लिए ऐतिहासिक क्षति को रोककर भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रक्षा करने की एक कानूनी नीति माना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: प्रमुख तर्क

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। ये दलीलें कई महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत करती हैं:

1. ऐतिहासिक अन्याय:

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह अधिनियम ऐतिहासिक गलतियों को वैध बनाता है - आक्रमणकारियों द्वारा हिंदू मंदिरों का विध्वंस और हिंदुओं को उनके पूजा स्थलों को फिर से हासिल करने के अधिकार से वंचित करता है।

2. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:

उनका तर्क है कि अधिनियम उनके धर्म के अधिकारों से इनकार करता है जो उन्हें केन्या के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार है।

3. धर्मनिरपेक्षता विरोधाभास:

दिलचस्प बात यह है कि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अधिनियम एक धार्मिक समूह को दूसरों के खिलाफ पक्षपात साबित करके गैर-धर्मनिरपेक्ष है और इस तर्क का अधिनियम के समर्थकों ने खंडन किया है।

धर्मनिरपेक्षता पर बहस

याचिकाकर्ताओं का दृष्टिकोण: उन्होंने तर्क दिया कि जिन क्षेत्रों में अतीत में मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, उन क्षेत्रों को फिर से हासिल करने के लिए हिंदुओं और अन्य समुदायों को अधिकार जारी करना धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि यह सभी धर्मों के अधिकारों को मान्यता देता है।

अधिनियम का समर्थन:

1. अयोध्या फैसले में न्यायिक मंजूरी:

सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले में कहा गया है कि यह अधिनियम देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को संरक्षित करता है क्योंकि यह ऐतिहासिक विवाद पर लोगों की लड़ाई से बचाता है।

2. विधायी आशय:

यह अधिनियम गैर-प्रतिगमन के सिद्धांत का एक अवतार है, जिस पर सहमति व्यक्त की गई थी कि देश को पहले से निपटाए गए आरोपों को दोबारा खोले बिना आगे बढ़ना चाहिए।

सुनवाई के निहितार्थ

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और सांप्रदायिक संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है:

1. यदि अधिनियम को बरकरार रखा जाता है: संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के लिए भारत के निरंतर नेतृत्व की पुष्टि करता है। ऐतिहासिक अन्यायों के उपचार की खरीद के लिए न्यायिक चैंबरों के शोषण के किसी भी सामान को बंद कर देता है। धर्म के मुद्दों पर राजनीतिक प्रभाव के खिलाफ एक मजबूत बयान को बढ़ावा देता है।
2. यदि अधिनियम को खत्म कर दिया जाता है या कमजोर कर दिया जाता है: इससे वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद या मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद जैसे स्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना पैदा होती है। जातीय तनाव का बिगड़ना, राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष जैसे नुकसान जो सामाजिक व्यवस्था और सामंजस्य को अस्थिर करते हैं। गैर-प्रतिगमन की भावना को दूर करने और विधायी संरक्षण को खत्म करने के लिए खड़ा है।

धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के रक्षक के रूप में न्यायिक सक्रियता

इस संबंध में, यह कहा जा सकता है कि न्यायपालिका ने धर्मनिरपेक्षता की दिशा में लगातार नेतृत्व किया है। उदाहरण के लिए, एस.आर. में. बोम्मई बनाम भारत संघ जो 1994 में था और अयोध्या मुद्दा जो 2019 में था, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान में सर्वोच्च मूल्यों में से एक के रूप में धर्मनिरपेक्षता पर ध्यान केंद्रित किया। यह मामला बढ़ते ध्रुवीकरण के बीच भारत के बहुलवादी चरित्र को बरकरार रखने को सुनिश्चित करने के संदर्भ में न्यायपालिका के लिए चुनौती को और बढ़ा देगा।

निष्कर्ष

यह देखा जा सकता है कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम एक परेशानी भरे अतीत की खाल से मुक्त होने के प्रयास के भारतीय दृढ़ संकल्प का एक और प्रमाण है ताकि एक धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण किया जा सके जो सभी का हो। सर्वोच्च न्यायालय का यह आगामी निर्णय न केवल राष्ट्र का, बल्कि उस धर्मनिरपेक्ष जीवन का, जिसकी वह कल्पना करता है, अंतिम निर्णय और निर्णय है।

यह मामला भारत में कानून, धर्म और संवैधानिक मूल्यों से इस हद तक जुड़ा हुआ है कि यह धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक जवाबदेही और संवैधानिक नैतिकता के प्रस्तावित विषयों के भीतर अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से फिट बैठता है।